कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन संभाग उज्जैन

---:: विभागीय जानकारी ::---

प्रभारी अधिकारी :- *श्री अशोक कुमार पारे*
उपायुक्त आबकारी
संभागीय उड़नदस्ता
उज्जैन संभाग उज्जैन
दूरभाष क्रमांक **0734-2551157 कार्या.**
दूरभाष क्रमांक **0734-2518570 निवास**
मोबाईल नम्बर-**94251-15255**
E-Mail (dcexciseujn@rediffmail.com)
विभागीय वेबसाइट www.mpexcise.org

आबकारी नीति का निर्धारण शासन स्तर पर होता है। विभाग द्वारा लागू की गई नीति का क्रियान्वयन संबंधी पर्यवेक्षण किया जाता हैं । विभाग में दायित्वों के निर्वहन के लिए संबंधित अधिनियमों /नियमों में कार्य संधारण संबंधी नार्म्स निर्धारित किए गए है। दायित्वों के निर्वहन में इन नार्म्स का पालन किया जाता है। आबकारी विभाग की वेबसाइट WWW.mpexcise.org पर विभाग से संबंधित अधिकांश जानकारी अर्थात अधिकारियों के नाम, पदस्थापना, टेलीफोन नम्बर, आबकारी एंव मनोरंजन शुल्क आय, मादक पदार्थो की खपत देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के उत्पादन, निर्यात, आयात व अन्य सभी प्रकार के लायसेंसों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हैं विभाग से संबंधित सभी अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

आबकारी विभाग मादक पदार्थो के निर्माण तथा उसके व्यापार पर लायसेंस फीस, ड्यूटी तथा अन्य करों के अतिरिक्त मनोरंजन स्थलों से मनोरंजन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करने का दायित्व आबकारी विभाग का है । मादक पदार्थो के अवैध निर्माण एवं व्यापार से सम्बन्धित अपराध नियंत्रण का दायित्व भी आबकारी विभाग का है ।

संभागीय कार्यालय के प्रमुख उपायुक्त आबकारी होते है जो आबकारी आयुक्त के अधीन संभाग में आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण /पर्यवेक्षण

के कार्य के साथ सम्भाग के किसी भी आबकारी केन्द्र यथा आसवनी, ब्रुअरी, देषी मदिरा भाण्डागार, विदेषी मदिरा भाण्डागार, देषी/विदेषी मदिरा दुकान एफ.एल. 2 –3 बार लायसेंस पापीस्ट्रा, भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई एवं छविगृहों के निरीक्षण के लिये संभागीय उड़नदस्ता द्वारा गड़बड़ी की आषंका वाले स्थान पर आकास्मिक छापा डालने / निरीक्षण करने के कार्य किये जाते है ।

गठित समितियॉ :–

1 जिला समिति

प्रत्येक जिले में गठित इस समिति में जिला कलेक्टर जिले के पुलिस अधीक्षक संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी सदस्य–सचिव होते हैं। यह समिति देशी/विदेशी मदिरा दुकानेां के निष्पादन के लिए अधिकृत की गई है।

2 बार लायसेंसों हेतु जिला समिति

एफ.एल.–2/एफ.एल.–3 की लायसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर गठित इस समिति में जिला कलेक्टर, जिले के पुलिस अधीक्षक संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण (भवन एंव पथ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी सदस्य–सचिव होते है। यह समिति एफ.एल. –2/ एफ.एल.–3 /एफ.एल.–3 ''ए'' लायसेंसों के मापदण्ड के परीक्षण उपरान्त लायसेंस स्वीकृत की अनुशंसा के लिए अधिकृत की गई है।

3 कार्यकारी परिसर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति

जिन कार्यालयों में एक अथवा अधिक महिलाकर्मी कार्यरत हैं वहां कार्यकारी परिसर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कम से कम एक महिला सदस्य को सम्मिलित कर समिति गठित की जाती हैं। यह समिति उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है।

विभाग में कन्सेशन अनुदान अगर कोई हो तो अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण :–

1 आबकारी विभाग द्वारा सैनिकों से उनके उपयोगार्थ प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर सिविलियन की तुलना में 33 प्रतिशत रियायती दरों पर ड्यूटी वसूली जाती हैं।

2 मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक बी–3–5–92/वा.कर. /भोपाल दिनांक 05.11.1992 द्वारा सैनिक यूनिटों में होने वाले वार्षिक उत्सवों में हेतु प्रति सैनिक अधिकारी/कर्मचारी एक बोतल कडी मदिरा एवं दो बातल बीयर के मान से परमिट फीस में छूट दिया जाना प्रावधानित है।

3 मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1936 की धारा 3 के अर्न्तगत विद्यार्थियों और सैनिकों को मनोरंजन शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की गई है।

4 नवीन छबिगृह के निर्माण्ध को प्रोत्साहन देने हेतु बनायी गयी योजना के अर्न्तगत सहायकता अनुदान नियम 1982 बनाये गये है।

5 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्राम सभा को मदिरा दुकाने खोलने बन्द करने तथा मदिरा की सहमति से ही इन क्षेत्रों में आबकारी से संबंधित गतिविधियों का संचालन करता है।

6 इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एंव ग्वालियर स्थलों में मल्टीप्लेक्स खोलने पर मनोरंजन शुल्क में छूट दिये जाने का प्रावधान है।

7 पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाईयों को एफ.एल.–2 (रेस्तरां बार) तथा एफ.एल.–3 (होटल बार) लायसेंसों की स्वीकृति संबंधी प्रतिबन्ध व लायसेंस फीस में छूट दिये जाने का प्रावधान ह

उपायुक्त आबकारी
संभागीय उड़नदस्ता
उज्जैन संभाग उज्जैन